

उसहैत तिहरा हत्याकांड का मुख्य शूटर/15000 रुपये का इनामिया अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की उर्फ कमाण्डों, सहयोगी संग 02 अभिगण को मय अवैध तमंचा व कारतूस के गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं श्री डा0 ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री अमित कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी उझानी के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना उसहैत पुलिस द्वारा दिनांक 31/10/2022 को ग्राम सथरा में तिहरे हत्याकांड जिसमें पूर्व ब्लाक प्रमुख उसावां राकेश गुप्ता व उनकी पत्नी एवं माँ शान्ति देवी की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या की गई थी, घटना का मुख्य शूटर विक्रम उर्फ विक्की पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं जो कि 15000/- रुपये की धनराशि का इनामियाँ अपराधी है, को ग्राम केशो नगला में लगे मोबाइल टावर के पास से एक अदद आलाकत्ल देशी तमंचा 315 बोर नाजायज मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर समेत एवं प्रकाश में आये अभियुक्त अवनीश पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं को खेड़ाजलालपुर में ठेका देशी शराब के पास बने टीन शेड के पीछे से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की गई ।

घटना क्रम दिनांक 31-10-2022 को पुरानी रंजिश के चलते पूर्व ब्लाक प्रमुख उसहैत राकेश गुप्ता पुत्र स्व0 रामकृष्ण गुप्ता निवासी ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं व पत्नी शारदा गुप्ता एवं माँ शान्ति देवी की उनके घर के अन्दर गोली मारकर हत्या कर दी गई । जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 351/2022 धारा 302/452/147/148/149/120B भादवि पंजीकृत किया गया । घटना की गंभीरता के दृष्टिगत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं श्री डा0 ओ0पी0 सिंह के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री अमित कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी उझानी के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना उसहैत पुलिस की टीम बनाकर घटना का अविलम्ब खुलासा करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार शुदा अभिगण ने पूछताछ में बताया कि विक्रम उर्फ विक्की व अवनीश पुत्र वीरेन्द्र निवासी सथरा थाना उसहैत बदायूं, रविन्द्र दीक्षित पुत्र रामादीन दीक्षित निवासी सथरा थाना उसहैत बदायूं सार्थक दीक्षित पुत्र रविन्द्र दीक्षित निवासी सथरा थाना उसहैत बदायूं के निवासी है तथा पुरानी चुनावी रंजिशों को लेकर उपरोक्त अभिगणों द्वारा चांद मियां पुत्र शान मियां नि0 म्याऊं थाना

अलापुर जनपद बदायूं (थाना अलापुर का हिस्ट्रीशीटर) व उसके साथी के साथ मिलकर दिनांक 30/10/2022 को मृतक राकेश को मय परिवार के मारने की योजना बनाई गई थी। दिनांक 31/10/2022 को योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्त अवनीश ठाकुर उपरोक्त को मृतक राकेश गुप्ता के घर भेजा गया। अभियुक्त अवनीश ठाकुर मृतक राकेश गुप्ता के घर पहुंचकर दरवाजा खुलवाकर कमरे में मृतक राकेश गुप्ता के साथ बात-चीत कर रहा था कि योजना के मुताबिक उपरोक्त अभिगण मय असलाह के मृतक के घर जा धमके और देखते ही सभी अभिगण द्वारा एक राय होकर मृतक राकेश व उनकी मां व उनकी पत्नी पर ताबडतोड फायरिंग कर मौके से सभी अभिगण फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभिगण का नाम व पता

1. विक्रम उर्फ विक्की पुत्र सन्तराम नि० ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं,
2. अवनीश पुत्र वीरेन्द्र नि० ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं।

फरार अभिगण-

1. चांद मियां पुत्र शान मियां नि० म्याऊं थाना अलापुर जनपद बदायूं (थाना अलापुर का हिस्ट्रीशीटर एच.एस. नं० 9ए) व उसका साथी।
2. अर्चित दीक्षित पुत्र रविन्द्र दीक्षित नि० ग्राम सथरा थाना उसहैत जनपद बदायूं।

आपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त विक्रम उर्फ विक्की पुत्र सन्तराम
1. मु०अ०सं० 81/2020 धारा 307/342/504 भादवि थाना उसहैत,
2. मु०अ०सं० 99/2021 धारा 147/148/149/336/323/504/506 भादवि थाना उसहैत,
3. मु०अ०सं० 107/2021 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना उसहैत,
4. मु०अ०सं० 350/2022 धारा 147/148/149/325/307/395 भादवि थाना उसहैत,

5. मु0अ0सं0 3512022 धारा 302/452/147/148/149 भादवि थाना उसहैत ।
2. अवनीश पुत्र वीरेन्द्र
1. मु0अ0सं0 659/2008 धारा 379/506 भादवि थाना उसहैत,
2. मु0अ0सं0 468A/2010 धारा 395/397/342 भादवि थाना उसहैत,
3. मु0अ0सं0 46/2015 धारा 379 भादवि थाना भमौरा जनपद बरेली,
4. मु0अ0सं0 44/2017 धारा 307/427/504/506 भादवि थाना उसहैत,
5. मु0अ0सं0 45/2017 धारा 147/148/149/224/225/353/336 भादवि व 7 CL ACT थाना उसहैत,
6. मु0अ0सं0 117/2018 धारा 147/148/342/353/323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/ एसटी एक्ट थाना उसहैत,
7. मु0अ0सं0 79/2020 धारा 147/148/149/307/506 भादवि व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट थाना उसहैत,
8. मु0अ0सं0 289/2021 धारा 307/504 भादवि थाना उसहैत बदायूं ।

#### बरामदगी का विवरण

1. एक अदद आलाकत्ल देशी तमंचा 315 बोर नाजायज मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर\* ।

गिरफ्तार व बरामदगी मे सम्मिलित टीम

एसओजी/सर्विलांस टीम थाना उसहैत पुलिस

उ0नि0 धर्वेन्द्र सिंह प्रभारी एसओजी, हे0का0 सचिन कुमार झा, हे0का0 विपिन कुमार, हे0का0 शराफत हुसैन, हे0का0 मुकेश कुमार, का0 लोकेन्द्र कुमार, का0 सचिन कुमार, का0 मनीष कुमार, का0 भूपेन्द्र, का0

आजाद, का0 अरविन्द कसाना,का0 कुशकान्त ।  
जनपद बदायूँ,

श्री अवधेश सेंगर थानाध्यक्ष थाना उसहैत

उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, हे0का0 330 अजय कुमार, का0 149 उमेश सिंह, का0 1240 विकास कुमार  
थाना उसहैत जनपद बदायूँ ।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सम्मिलित टीम को उत्साहवर्धन हेतु  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।